भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या - 1973
05/08/2026 को उत्तर के लिए

विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) में गहरे समुद्र में मत्स्यन और शुल्क मुक्त मछली पकड़ने की व्यवस्था का आधुनिकीकरण

1973. श्री केसरीदेवसिंह झाला:
डा. अनिल सुखदेवराव बोंडे :

क्या मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केंद्रीय बजट 2026-27 की घोषणाओं के अनुसरण में विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) अथवा उच्च समुद्री क्षेत्र में घरेलू पोतों द्वारा पकड़ी गई मछलियों को भारतीय मूल का दर्जा प्रदान करने और उन पर आयात शुल्क में छूट संबंधी अधिसूचित दिशानिर्देशों की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) समुद्र के मध्य मत्स्य अंतरण को सुगम बनाने और गहरे समुद्र में मत्स्यन कार्यों से होने वाली आय में वृद्धि के लिए मदर-चाइल्ड पोत मॉडल के संबंध में अपनाई गई रणनीतिक ढाँचे का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उत्पाद ट्रेसेबिलिटी बढ़ाने और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए एकीकृत पोर्टलों के माध्यम से स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र तथा मछली पकड़ने के प्रमाण-पत्रों के डिजिटल निर्गमन की व्यवस्था लागू कर दी गई है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) गहरे समुद्र में मत्स्य संसाधनों के दोहन की क्षमता बढ़ाने, मत्स्य उत्पादों की बेहतर मूल्य प्राप्ति को सुनिश्चित करने और भारतीय समुद्री निर्यात की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को सुदृढ़ करने के लिए कौन-कौन सी व्यापक पहले कार्यान्वित की गई हैं?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री
(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क)मछुआरों के लिए क्षेत्रीय जल क्षेत्र से परे निर्यात के नए अवसर पैदा करने के लिए केंद्रीय बजट 2026-27 में यह घोषणा की गई थी कि भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र (EEZ) या उच्च समुद्र (हाई सीज़) में किसी भी भारतीय वेसल द्वारा पकड़ी गई मछली को सीमा शुल्क से मुक्त किया जाएगा; विदेशी बंदरगाहों पर ऐसी मत्स्य लैंडिंग को माल के निर्यात के रूप में माना जाएगा, और मत्स्यन परिवहन या ट्रांसशिपमेंट (पोतांतरण) के दौरान इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए सुरक्षा उपाय किए जाएंगे। बजट घोषणा (2026-27) के अनुसरण में, भारतीय ध्वज वाले फिशिंग वेसल्स के लिए अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र तक इसके अधिकार क्षेत्र का विस्तार करने हेतु सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 में आवश्यक संशोधन किए गए हैं। यह भारतीय ध्वज वाले मत्स्यन जहाजों द्वारा EEZ या उच्च समुद्र में पकड़ी गई मछली को भारत में लाने पर शुल्क मुक्त बनाता है, और विदेशी बंदरगाहों पर ऐसी मत्स्य लैंडिंग को निर्यात के रूप में मान्यता देता है। सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 में तीन प्रमुख विधायी संशोधनों में धारा 1(2) में संशोधन, धारा 2(28A) में संशोधन और धारा 56A को शामिल करना शामिल है।

(ख)भारतीय अनन्य आर्थिक क्षेत्र (EEZ) और उच्च समुद्र (हाई सीज़), जिसमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप जैसे द्वीप क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया है, से मात्स्यिकी के सतत उपयोग के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार करने की केंद्रीय बजट 2025-26 की घोषणा के अनुसरण में, 4 नवंबर, 2025 और 9 दिसंबर, 2025 को क्रमशः "अनन्य आर्थिक क्षेत्र में मात्स्यिकी का सतत उपयोग नियम, 2025" और "भारतीय ध्वज वाले मत्स्यन जहाजों द्वारा उच्च समुद्र में मात्स्यिकी के सतत उपयोग के लिए दिशानिर्देश, 2025" जारी किए गए हैं। अनन्य आर्थिक क्षेत्र (EEZ) नियम, 2025 और उच्च समुद्र दिशानिर्देश, 2025 एक "मदर-एंड-चाइल्ड वेसल" (मुख्य और सहायक पोत) मॉडल के माध्यम से मध्य-समुद्र पोतांतरण (मिड-सी ट्रांसशिपमेंट) से संबंधित विनियमन प्रदान करते हैं। यह फ्रेमवर्क भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की निगरानी और क्षेत्रीय मात्स्यिकी प्रबंधन संगठन (RFMO) के अनुपालन के तहत लघु मत्स्यन नौकाओं (चाइल्ड इकाइयों) को समुद्र में बड़े वाहक मुख्य जहाजों (मदर वेसल्स) में पकड़ी गई मछलियों को स्थानांतरित करने की अनुमति देता है। मछुआरे और निर्यातकों को बेहतर प्रतिफल सुनिश्चित करने के लिए मत्स्य के गुणवत्ता मानकों को बनाए रखने और सुधारने हेतु अनन्य आर्थिक क्षेत्र EEZ नियमों के तहत केवल भारतीय जहाजों के बीच ही पोतांतरण की अनुमति दी गई है। पोतांतरण का यह प्रावधान लक्षद्वीप और अंडमान एवं निकोबार केंद्र शासित प्रदेशों के फैले हुए द्वीपों के लिए बहुत उपयोगी है, जहां पर्याप्त बर्थिंग (लंगर डालने) है , सीमित प्रसंस्करण और सहायक अवसंरचना है। पकड़ी गई मछलियों के समूहीकरण को सक्षम करते हुए , ये नियम समुद्री उत्पादों के अधिक कुशल रख-रखाव और प्रसंस्करण में सहायता प्रदान करते हैं।

(ग) से (घ): वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (MPEDA), यूरोपीय संघ (EU) और गैर-यूरोपीय संघ के बाजारों में निर्यात के लिए कैच सर्टिफिकेट को सत्यापित करने वाला नामित प्राधिकरण है। वर्ष 2019 में, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (MPEDA) ने इन प्रमाणपत्रों को सत्यापित करने के लिए एक एंड-टू-एंड ऑनलाइन प्रणाली शुरू की, जिससे प्रसंस्करण समय 7-10 दिनों से घटकर 1-2 दिन रह गया। इसके अलावा, MPEDA की कैच सर्टिफिकेट जारी करने की प्रणाली को मत्स्यपालन विभाग के ReALCraft पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है। समुद्री मछुआरों के लिए व्यवसाय करने में सुगमता को बढ़ावा देने के लिए नभमित्र एप्लिकेशन में पकड़ी गई मछली की रिपोर्टिंग के प्रावधान भी किए गए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत निर्यात निरीक्षण परिषद (EIC), आयातक देश की अपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए मत्स्य और मत्स्य उत्पादों सहित अधिसूचित वस्तुओं के लिए स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जारी करती है। व्यवसाय करने में सुगमता को बढ़ावा देने के लिए, EIC ने एक ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से इस प्रक्रिया को डिजिटल कर दिया है, जिससे स्वास्थ्य प्रमाणपत्रों को पारदर्शी, ट्रेस करने योग्य और त्वरित रूप से जारी करना सक्षम हुआ है। ये प्रमाणपत्र अंतर्राष्ट्रीय बाजार की अपेक्षाओं के अनुरूप जारी किए जाते हैं, जिससे निर्यातक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और प्रमाणपत्र प्राप्त कर सकते हैं, जिससे कार्यकुशलता और व्यवसाय करने में सुगमता में सुधार हुआ है।

(ड.) मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार मात्स्यिकी क्षेत्र के समग्र विकास के लिए विभिन्न योजनाएं लागू कर रहा है। ब्लू रिवोल्यूशन, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY), और मात्स्यिकी एवं जलकृषि अवसंरचना विकास निधि (FIDF) योजनाओं के तहत, पारंपरिक मछुआरों द्वारा 1,205 डीप-सी फिशिंग वेसल्स के अधिग्रहण के लिए 1,314.81 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा, अनन्य आर्थिक क्षेत्र (EEZ) में उच्च मूल्य वाले, निर्यात-उन्मुख मात्स्यिकी को बढ़ावा देने के लिए अनन्य आर्थिक क्षेत्र EEZ नियम, 2025' को अधिसूचित किया गया था। इष्टतम मूल्य प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार मूल्य संवर्धन, उत्पाद विविधीकरण और निर्यात-उन्मुख जलकृषि को बढ़ावा दे रही है।

उच्च मूल्य वाली प्रजातियों के उत्पादन और निर्यात, मूल्य संवर्धित समुद्री खाद्य उत्पादों के विकास, प्रसंस्करण सुविधाओं को मजबूत करने और अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता तथा खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुपालन पर विशेष जोर दिया जा रहा है। MPEDA प्रमुख निर्यात बाजारों में बाजार संवर्धन, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री खाद्य प्रदर्शनियों में भागीदारी, क्रेता-विक्रेता बैठकों और भारतीय समुद्री खाद्य उत्पादों की ब्रांडिंग के लिए पहल लागू कर रहा है। वैश्विक स्तर पर भारत के समुद्री खाद्य क्षेत्र को मजबूत करने के लिए, सरकार विनियमों में संशोधन करके, आयात को सुव्यवस्थित करके और प्रमुख एक्वाफीड सामग्री, जलकृषि इनपुट तथा मत्स्य प्रसंस्करण सामग्री पर आयात शुल्क को कम करके व्यवसाय करने में सुगमता को बढ़ावा दे रही है। अपने सतत प्रयासों के भाग रूप में मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार का ट्रॉल नेट में टर्टल एक्सक्लूडर डिवाइसेस (TEDs) लगाने को बढ़ावा दे रहा है, समुद्री स्तनधारी परियोजना को सहायता प्रदान कर रहा है, एंटीबायोटिक अवशेष नियंत्रण को मजबूत कर रहा है, और एक व्यापक राष्ट्रीय ट्रेसबिलिटी फ्रेमवर्क शुरू किया है। निर्यात निरीक्षण परिषद (EIC) की स्थापना भारत सरकार द्वारा निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 के तहत की गई थी, जिसका उद्देश्य आयातक देशों की अपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए श्रिम्प सहित अधिसूचित उत्पादों के गुणवत्ता नियंत्रण और निरीक्षण के माध्यम से भारत के निर्यात व्यापार को बढ़ावा देना है। इसके अतिरिक्त, सरकार अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रयोगशाला अवसंरचना, अवशेष निगरानी और गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली को मजबूत करते हुए स्वच्छता और पादप-स्वच्छता (SPS) के मुद्दों, निर्यात प्रमाणन अपेक्षाओं और बाजार पहुंच बाधाओं के समाधान के लिए आयातक देशों के साथ निरंतर संपर्क बनाए हुए है।

भारत सरकार की विभिन्न सुविचारित नीतियों और पहलों के परिणामस्वरूप, भारत का समुद्री खाद्य निर्यात वर्ष 2013-14 के 30,213 करोड़ रुपए से दोगुने से भी अधिक बढ़कर वर्ष 2025-26 में 73,890.46 करोड़ रुपए हो गया है।
